न्यायालय उपखंड अधिकारी अराई अजमेर

राजस्व वाद संख्या 42/2023

सत्यनारायण बनाम गोविन्द वगैरह अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज. अधि. 1956

1. सत्यनारायण उर्फ भैरू पुत्र लादू जाति जाट उम्र. 50. निवासी झीरोता रोड ढसुक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

1.गोविन्द पुत्र गोदू जाति जाट निवासी ढसुक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
2. छगनी पत्नि बिरदा जाति जाट निवासी निवासी ढसुक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
3. जोरा पुत्र गोदू जाति जाट निवासी ढसुक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
4. बन्ना पुत्र गोदू जाति जाट निवासी ढसुक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
5. महेन्द्र पुत्र भोलू जाति जाट निवासी गूदंली तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
6. रंगलाल पुत्र भोलू जाति जाट निवासी गूदंली तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
7. रंगलाल पुत्र गोदू जाति जाट निवासी ढसुक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान ।
8. रामस्वरूप पुत्र भोलू जाति जाट निवासी गूदंली तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
9.विश्राम पुत्र लादू जाति जाट निवासी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
10. भवंरलाल पुत्र श्रवण जाति जाट निवासी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
11. भूरी पुत्री श्रवण पत्नि छोटू जाति जाट निवासी हालनि झीरोता तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
12. सुखपाल पुत्र भोलू जाति जाट निवासी गूदंली तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
13. स्याणी पत्नि लादू जाति जाट निवासी ढसूक तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील अरांई जिला अजमेर राजस्थान।

(अप्रार्थीगण)

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि.1956

निर्णय दिनांक ....

1. संक्षिप्त में वाद पत्र का सार इस प्रकार है कि वादी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131,136 भू.राज.अधि. 1956 के तहत वकील श्री योगेश शर्मा एडवोकेट ने पेश किया जिसमें प्रार्थी अधिवक्ता ने जाहिर किया कि वादी के कब्जे काश्त की सहखातेदारी की भूमि राजस्व ग्राम ढसूक तहसील अरांई (अजमेर) के वर्तमान खाता संख्या नया 75 पुराना 77 के खसरा संख्या 255 व 256 का कुल क्षेत्रफल 2. 0630 हैक्टेयर है । जिसमे प्रार्थी का 1/12 हिस्सा निहित है। जिसमे प्रार्थी का नाम सहवन से गलत इंद्राज होकर भैरू पुत्र लादू दर्ज हो गया ।

2. यह कि मुझ प्राथी का नाम भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड, जॉब कार्ड, राशन कार्ड, आदि में सत्यनाराण पुत्र लादू अंकित हैं। जो कि कृषि जमाबन्दी के खाता संख्या नया 75 पुराना 77 के खसरा संख्या 255 व 256 का कुल क्षेत्रफल 2.0630 है. में गलत दर्ज होकर भैरू पुत्र लादू अकित हो गया हैं जो कि गलत दर्शाया गया है, क्योकि मुझे भैरू नाम से पुकारा जाता था इस कारण विरासत के नामान्तरण मे बचपन का नाम भैरू पुत्र ल अकिंत हो गया, जो कि गलत दर्ज हो गया।
3. यह कि मुझ प्राथी को सत्यनारायण के नाम से जाना और पहचाना जाता है लेकिन गलती से कृषि भूमि की जमाबन्दी मे मेरा नाम भैरू अकिंत कर दिया गया है, जो कि गलत है। यह कि प्रार्थी के राजस्व ग्राम ढसुक मे स्थित कृषि आराजी खसरा संख् 773,774,849,1200/773,909 व 911 में मुझ प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण पुत्र लादू जाति जाट निवासी ढसूक तहसील अराई अजमेर राज0 का अंकन है जो कि सही है । श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ढसूक के खसरा नं0 255 व 256 रकबा 2.0630 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 में भैरू पुत्र लादू के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र लादू जाति जाट निवासी ढसूक तहसील अराई अजमेर की शुद्धि करने का निवेदन किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

4. प्रकरण को दिनांक 11.8.2023 को दर्ज रजिस्टर क्रमांक 42/2023 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। दिनांक 11.8.2023 अप्रार्थीगणो सम्मन नोटिस जारी किए गए । दिनांक 15.9.2023 को अप्रार्थीगणो के तामिलशुदा सम्मन नोटिस प्राप्त हुए ।दिनांक 1.8.2025 को अप्रार्थीगणो को बार बार जवाब हेतु अवसर दिये जाने के उपरान्त भी जवाब पेश नही करने के कारण अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 13 का जवाब बन्द किया गया । पेरोकार सरकार तहसीदार अराई का जवाब व मौका जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया गया पेरोकार सरकार के जवाबअनुसार वादी सत्यानारायण पुत्र लादू जाट नि. ग्राम ढसूक का निवासी है। तथा प्रार्थी को उक्त नाम के अलावा भैरू पुत्र लादू के नाम से जाना जाता है। जिसके सन्दर्भ में पटवारी हल्का द्वारा तैयार मौका पर्चा एवं ग्राम पंचायत उसूक का प्रमाण पत्र संलग्न है। वादी सत्यनारायण पुत्र लादू जाट के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड ग्राम गुन्दली की वर्तमान जमाबन्दी (सेग्रीगेशन जमाबन्दी) के खाता संख्या 75 ख.न.255,256 किता 02 रकबा 2.0630 हैक्टेयर भैरु पुत्र लादू हि. 1/2 जाति जाट तथा ग्राम ढसूक के वर्तमान जमाबन्दी (सेग्रीगेशन जमाबन्दी) के खाता संख्या 434,435 व 491 ख.न. 909,911,1200/773, 774, 849,773 किता 6 में सत्यनारायण पुत्र लादू क्रमशः हि. 1/12. 1/6, 1/20 (शेष जमा बदस्तूर) राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।वादी द्वारा प्रस्तुत संलग्न आधार कार्ड सं. 885315200937, बैंक पासबुक (**SBI**), जॉब कार्ड, पेनकार्ड सं-**NNHP0364G** में सत्यनारायण पुत्र लादू दर्ज है। जबकि ग्राम गून्दली के वर्तमान जमाबन्दी के खाता सं.75 में भैरु पुत्र लादू हि. 1/2 जाति जाट दर्ज है। जो कि ग्राम गून्दली के विरासत का नामा.सं. 29 निर्णय दिनांक 05/05/1988 से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हुआ । तथा उक्त सन्दर्भ में मौका पर्चा तथा ग्राम पंचायत ढसूक द्वारा जारी प्रमाण पत्र संलग्न है। वादी के ग्राम ढसूक की वर्तमान जमाबन्दी के खाता संख्या 434,435 491 ख.न.909, 911,1200/773,774,849,773 में सत्यनारायण पुत्र लादू जाति जाट रिकॉर्ड में दर्ज है। मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार अराई एवं संलग्न दस्तावेजात के ग्राम गूनदली के खाता सं.75 में भैरु पुत्र लादू के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र लादू किया जाना उचित है। हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। तहसीलदार अरांई के जवाब तथा संलग्न नक्शानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार अरांई को आदेश दिये जातें है कि वादअधीन भूमि ग्राम ढसूक के खसरा नं0 255 व 256 रकबा 2.0630 हैक्टेयर भूमि में प्रार्थी का हिस्सा 1/12 में भैरू पुत्र लादू के स्थान पर सत्यनारायण पुत्र लादू जाति जाट निवासी ढसूक तहसील अराई अजमेर नाम शुद्ध कर राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती करे । । तहसीलदार अरांई की रिपोर्ट अन्तिम आदेश का भाग रहेगी तथा उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती की जायेगी। राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज दुरूस्ती इस प्रकार की जावे कि दुरूस्ती करने पर वर्तमान जमाबन्दी तथा रकबा खसरान् में कोई परिवर्तन नहीं हो।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षरों के खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। पत्रावली जाप्ता दफ्तर दाखिल हो।

(नीतू मीना)
उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)